

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, (बालोतरा)
(कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

समदडी, जिला - बालोतरा, राजस्थान - 344 021

क्रमांक () प.एफ/ फार्म स्टोर/ कृ.अ.उ.के/ समदडी /2023-24/ 78

दिनांक - 11/06/2024

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी (बालोतरा) के फार्म पर हिस्साधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु जिसका विवरण **UBN: JAU2425WSOB00021** से बंद लिफाफे में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेब साईट - <https://sppp.rajasthan.gov.in> अथवा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in पर पढ़ा जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केंद्र,
समदडी, जिला-बालोतरा,
(राज.)- 344021



कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, बालोतरा, (राज.)

समदडी, जिला - बालोतरा, राज. ३४४-०२१

AGRICULTURAL RESEARCH SUBSTATION, SAMDARI

(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR (RAJASTHAN)

Samdari, Distt- Balotra (Rajasthan) 344-021

Mobile & Phone- 9426109352, 02900294225

Email - arsssamdari@gmail.com

Dr Surendra Kumar
Officer In-Charge

क्रमांक प. एफ 24 ()/ फार्म स्टोर/ कृअउके./ समदडी/ 2024-25/ 68-77

दिनांक. 11/06/2024

खुली निविदा आमन्त्रण सूचना

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी बालोतरा के फार्म पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा वर्ष 2024-25 हेतु मुहरबंद निविदा (अनुमानित लागत 450000/- अक्षरे चार लाख पचास हजार मात्र) आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- (अक्षरे पांच सो मात्र) नगद जमा कर दिनांक - 28.06.2024, वार शुक्रवार को सुबह 11.00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशी रूपये 9000/- (अक्षरे नो हजार रुपये मात्र) रोकड़ में धरोहर राशी कृ.अ.उ.के., समदडी कार्यालय में दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवाकर रशीद प्राप्त कर सकते हैं, अथवा बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो ऑफिसर इन्चार्ज एग्रीकल्चर रिसर्च सब स्टेशन समदडी (Officer In-Charge, Agriculture Research Sub Station, Samdari) के नाम देय हो, दिनांक 28.06.2024 वार शुक्रवार को दोपहर 1.00 बजे तक निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ जमा करवा सकते हैं निविदा उसी दिन को दोपहर 2.00 बजे खोली जाएगी निविदा प्रपत्र व शर्तों को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक सेवा उपापन की वेब साईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है, निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / संसोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान
2. श्रीमान निदेशक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान
3. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, जोधपुर, राजस्थान
4. श्रीमान कोषाधिकारी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान
5. नोडल अधिकारी, कृ.वि.वि. से निवेदन है की इस निविदा को कृषि वि.वि., की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये
6. लेखा शाखा / फार्म मैनेजर - कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदडी, बालोतरा, राजस्थान
7. सूचना पट - कृ.अनु.उप के. - समदडी, पंचायत सीमिति, ग्राम पंचायत, तहसील - समदडी (बालोतरा), राज.

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केंद्र,
समदडी, जिला-बालोतरा
(राज.)-344021

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केंद्र,
समदडी, जिला-बालोतरा
(राज.)-344021

Page No - (1)



कृषि अनुसंधान उप केंद्र , समदडी

जिला – बालोतरा (राज.) 344-021

हिस्साधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2024 & 2024-25)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2024 / संख्या -01
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक प.एफ 24 () / फार्म स्टोर/ कृअउके./ समदडी /2024-25/ 68-77 दिनांक – 11/06/2024
निविदा प्रपत्र शुल्क	500/- (पांच सौ) रुपये मात्र /- रशीद संख्या, दिनांक -
निविदा वर्ष	2024- 25 (खरीफ 2024- रबी 2024-25)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ 2024- रबी 2024-25
अनुमानित लागत	रु. 450000/- (अक्षरे - चार लाख पचास हजार रुपये मात्र/-)
परिशिष्ट संख्या – एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या – दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक – 13.06.2024 से 28.06.2024 प्रातः 11 .00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	दिनांक – 28.06.2024, दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक – 28.06.2024., दोपहर 2.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, जिला – बालोतरा (राजस्थान)
पत्राचार हेतु पता	श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) जिला – बालोतरा – 344 021

नोट – धरोहर राशी कार्यालय , कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदडी, (बालोतरा) में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती हैं | धरोहर राशी रोकड़ (नगद) कृ.अ.उ.के., समदडी कार्यालय में दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करवाकर रशीद प्राप्त कर सकते हैं, अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो की “ऑफिसर इंचार्ज एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदडी” (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो जमा कराई जा सकती हैं | निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ दिनांक 28.06.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक कृ.अ.उ.के., समदडी कार्यालय में स्वीकार्य होगा |

सलमन – निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें

प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केंद्र,
समदडी, जिला-बालोतरा
(राज.) - 344 021

परिशिष्ट संख्या – 01

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2024-25)
(निविदा शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद ही निवदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांक प.एफ 24 ()/ फार्म स्टोर / कृअउके / समदड़ी / 2024-25/, दिनांक –
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2024-25 में बीजोत्पादन फसलो की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ 2024- रबी 2024-25
निविदादाता का नाम व पूरा पता आधार न..... दुरभाष न
धरोहर राशी का विवरण	रुपये 9000 /- (अक्षरे नो हजार रूपये मात्र/-) रोकड़ / बैंक ड्राफ्ट रशीद स.....दिनांक बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक बैंक का नामशाखा

कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदड़ी बालोतरा के फार्म पर वर्ष 2024-25 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की पैदावार में दाना / बीज उपज में निविदादाता / ठेकेदार एवं कृषि अनुसंधान उप केंद्र समदड़ी की हिस्सेदारी :-


क.स.	वर्ष / मोसम	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत) /	कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदड़ी (बालोतरा) कार्यालय का हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	खरीफ 2024 (अनुमानित क्षेत्रफल 23.6 हेक्टर)	अंको में शब्दों में	अंको में शब्दों में
2.	रबी 2024-25 (फसल उत्पादन क्षेत्र पानी की उपलब्धता के अनुसार)	अंको में शब्दों में	अंको में शब्दों में

हस्ताक्षर निविदादाता / ठेकेदार

निविदादाता का नाम

पता

मोबाइल न.....


प्रभारि अधिकारी
 कृषि अनुसंधान उप केंद्र,
 समदड़ी, जिला-बालोतरा
 (राज.) - 344 021

परिशिष्ट-2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केंद्र, समदड़ी (बालोतरा), कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर "हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक - 28.06.2024 दोपहर 1.00 बजे तक देय" तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदा बॉलप्वाइंट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंकों व शब्दों में स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
4. निविदा दरें वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जिसमें खरीफ-2024 व रबी 2024-25 मौसमों के लिए अनुमोदित की गई दरें उक्त मौसमों की समय अवधि लिए ही मान्य होगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
5. निविदा के साथ 9000/- रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि ऑफिसर इंचार्ज, एग्रिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer In-charge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चैक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे संबंधी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा। परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
7. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा अर्थात् बुवाई से लेकर फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
8. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा, परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
9. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बालोतरा के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित होता है। अतः रबी की फसल के लिए सिमित मात्रा में पानी सोलर पंप से उपलब्ध हैं।

प्रभारी/अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला-बालोतरा
(संज्ञ) - 344021

10. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएँ जैसे निराई-गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।
11. निराई-गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।
12. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र, मंडोर (जोधपुर) का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
13. फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई-गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
14. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
15. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।
16. फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।
17. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बालोतरा के फार्म पर उपलब्ध घास, लूंग, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
19. निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।
20. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर तथा निदेशक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को होगा।
21. केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।
22. फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला-बालोतरा
(राज.)-344021

23. निविदादाता को खरीफ-2024 व रबी 2024-25 मौसमों में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमों की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।
24. फार्म पर उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक अनुसंधान केन्द्र का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरंत पश्चात् जोधपुर / सुमेरपुर (पाली) / मेड़ता (नागौर) में से किसी एक कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिशत में) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है, की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकेदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतंत्र होगा।
25. बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे पर हक ठेकेदार का होगा, केन्द्र उसमे से कोई हिस्सा नहीं लेगा।
26. राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
27. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के ऑविष्टेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
28. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता/ ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक.....


प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र,
समदड़ी, जिला-बालोतरा
(राज.)- 344 021

